

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ (राज.)


रामचन्द्र बनाम सरकार

प्रकरण का प्रकार 75 एलआरएक्ट

क्रमांक

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
12.11.2020	<p>पत्रावली प्रार्थना-पत्र पर पेश हुई। यह अपील उपखण्ड अधिकारी भादरा के निर्णय दिनांक 18.08.2020 व 23.10.2020 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आ चुका है। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाण्ट ने अपनी खातेदारी भूमि ग्राम बोझला की प्रश्नगत भूमि के संबंध में भूराजस्व नियम (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के तहत संपरिवर्तन करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन आदेश के द्वारा यह कहते हुए खारिज कर दिया कि भूमि पी0एन0बी0 बैंक मलसीसर के रहन है एवं न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी का स्थगन आदेश जारी है। अपीलाण्ट ने कृषि भूमि खसरा नं. 172 कि 5.7410 है0 भूमि को विचारण न्यायालय ने सरकार बनाम मुखी देवी प्रकरण संख्या 145/2016 अन्तर्गत धारा 177 आरटीएक्ट में पारित निर्णय दिनांक 20.01.2018 के द्वारा रकबाराज कर दिया था। उक्त निर्णय व डिक्री के विरुद्ध अपील संख्या 247/2018 रामचन्द्र बनाम सरकार में निर्णय दिनांक 08.10.2020 के द्वारा खारिज कर दिया गया था। प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि है। चूंकि इस न्यायालय से अपील का निस्तारण हो चुका है उक्त अपील में वर्तमान में स्थगन नहीं है। अतः यह वर्तमान अपील स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.08.2020 व 23.10.2020 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रकरण में राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि को अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 में उभयपक्षों को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। निर्णय आज दिनांक 12.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।</p>	




 12/11/20
 (करतार सिंह पूनीया)
 राजस्व अपील प्राधिकारी
 हनुमानगढ़

